

FIRST INFORMATION REPORT

(Under Section 173 B.N.S.S.)

(प्रथम सूचना रिपोर्ट)

(धारा 173 बी. एन. एस. एस. के अन्तर्गत)

1. District JAIPUR CITY P.S. Year 2026
(जिला): (NORTH) (थाना): SHASTRI NAGAR (वर्ष):
2. FIR No. 0267 Date and Time of FIR 14/09/2026 20:01 बजे
(प्र.सू.रि.सं): (एफआईआर की तिथि/समय):

S.No. (क्र.सं.)	Acts (अधिनियम)	Sections (धाराएँ)
1	भारतीय न्याय संहिता (बी एन एस), 2023	308(2)
2	भारतीय न्याय संहिता (बी एन एस), 2023	308(3)
3	भारतीय न्याय संहिता (बी एन एस), 2023	351(2)
4	भारतीय न्याय संहिता (बी एन एस), 2023	61(2)
5	भारतीय न्याय संहिता (बी एन एस), 2023	3(5)

3. (a) Occurrence of offence (अपराध की घटना):

1. Day(दिन): दरमियानी दिन Date From 26/08/2026 Date To 03/09/2026
(दिनांक से): (दिनांक तक):
Time Period पहर Time From 00:00 बजे Time To 13:35 बजे
(समय अवधि): (समय से): (समय तक):

(b) Information received at P.S. Date 14/09/2026 Time 18:45 बजे
(थाना जहाँ सूचना प्राप्त हुई) (दिनांक): (समय):

(c) General Diary Reference Entry No. 039 Date & Time 14/09/2026 19:42:00 बजे
(रोजनामचा संदर्भ) : (प्रविष्टि सं.): (दिनांक एवं समय)

4. Type of Information (सूचना का प्रकार): लिखित

5. Place of Occurrence (घटनास्थल):

1 (a) Direction and distance from P.S. दक्षिण - पूर्व, 0.66 किमी Beat No. राणा कॉलोनी
(थाने से दिशा और दूरी): (बीट सं.):

(b) Address(पता): C 124 RANA COLONY

(c) In case, outside the limit of this Police Station, then
(यदि थाना सीमा के बाहर हैं तो)

Name of P.S. SHASTRI NAGAR District(State) JAIPUR CITY (NORTH)
(थाना का नाम): (जिला (राज्य)):

(RAJASTHAN)

6. Complainant / Informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता):

(a) Name(नाम): ANIRUDDH SARAN PUROHIT

(b) Father's Name (पिता का नाम): ANIL KUMAR PARIK

(c) Date/Year of Birth (जन्म तिथि/ वर्ष): 1990

(d) Nationality(राष्ट्रीयता): INDIA

(e) UID No(यूआईडी सं.):

(f) Passport No. (पासपोर्ट सं.):

Date of Issue

Place of Issue

(जारी करने की तिथि):

(जारी करने का स्थान):

(g) Id details (Ration Card,Voter ID Card,Passport,UID No.,Driving License,PAN) (पहचान विवरण (राशन कार्ड,मतदाता पहचान पत्र,पारपत्र,आधार कार्ड सं,ड्राइविंग लाइसेंस,पैन)):

S.No. (क्र.सं.)	Id Type (पहचान पत्र का प्रकार)	Id Number (पहचान सं.)
--------------------	-----------------------------------	--------------------------

(h) Occupation (व्यवसाय):

(i) Address(पता):

S.No. (क्र.सं.)	Address Type (पता का प्रकार)	Address (पता)
1	वर्तमान पता	C 124 RANA COLONY, SHASTRI NAGAR, JAIPUR CITY (NORTH), RAJASTHAN, INDIA
2	स्थायी पता	D 64 MADHO SINFG ROAD, BANIPARK, JAIPUR (WEST), RAJASTHAN, INDIA

(j) Phone number
(दूरभाष न.):

Mobile (मोबाइल न.): 91-9649999976

7. Details of known/suspected/unknown accused with full particulars

(ज्ञात/संदिग्ध/अज्ञात अभियुक्त का पुरे विवरण सहित वर्णन):

Accused More Than(अज्ञात आरोपी एक से अधिक हो तो संख्या):

S.No. (क्र.सं.)	Name (नाम)	Alias (उपनाम)	Relative's Name (रिश्तेदार का नाम)	Address (पता)
1	NITIN NARESH MARSUS NINE NETWORK LTD ETC PERSONS			1. D 12 BHUTAL GALI 4, RAGHU NAGAR,क्रॉट प्लेस, नई दिल्ली,दिल्ली,INDIA

8. Reasons for delay in reporting by the complainant/informant
(शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता द्वारा रिपोर्ट देरी से दर्ज कराने के कारण):

9. Particulars of properties of interest (Attach separate sheet, if necessary)
(सम्बन्धित सम्पत्ति का विवरण(यदि आवश्यक हो, तो अलग पृष्ठ नत्थी करें)):

S.No. (क्र.सं.)	Property Category (सम्पत्ति श्रेणी)	Property Type (सम्पत्ति के प्रकार)	Description (विवरण)	Value(In Rs/-) (मूल्य(रु में))
1	सिक्के और मुद्रा	रुपये	11700	

10. Total value of property stolen(In Rs/-)
(चोरी हुई संपत्ति का कुल मूल्य(रु में)):

11. Inquest Report / U.D. case No., if any (मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट / यू.डी.प्रकरण न., यदि कोई हो):

S.No. (क्र.सं.)	UIDB Number (यू.आई.डी.बी. संख्या)
--------------------	--------------------------------------

12.First Information contents (Attach separate sheet, if necessary)
(प्रथम सूचना तथ्य(यदि आवश्यक हो , तो अलग पृष्ठ नत्थी करें)):

न्यायालय श्रीमान् न्यायिक मजिस्ट्रेट संख्या 11. जयपुर महानगर द्वितीय परिवाद संख्या /2026 अनिरुद्ध सरन पुरोहित पुत्र श्री अनिल कुमार पारीक, उम्र 36 वर्ष, निवासी- डी-64, माधो सिंह रोड, बनीपार्क, डाकघर शास्त्री नगर, जयपुर (राजस्थान)- 3020161 कार्यालय- प्लॉट नं. सी-124, राणा कॉलोनी, शास्त्री नगर, जयपुर। मोबाइल नं. 0649999976--परिवादी--बनाम--1. श्री नितिन नरेश पुत्र श्री नामालूम (प्रकाशक एवं संपादक, इन्वेंटिवा), पता: डी-12, भूतल, गली नं. 4. रघु नगर, सिंडीकेट एन्क्लेव, नई सब्जी मण्डी के पास, दिल्ली-110045। 2. मैसर्स नाइन नेटवर्क प्राइवेट लिमिटेड (Nine Network Private Limited), सी.आई.एन. U74140DL2016PTC289760, पंजीकृत कार्यालय डी-12, भूतल, गली नं. 4, रघु नगर, सिंडीकेट एन्क्लेव, नई सब्जी मण्डी के पास, दिल्ली-110045, जरिये निदेशक/अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता। (इन्वेंटिवा प्रकाशन की स्वामी एवं वह बैंक खाता संख्या XXXXXXXXXX9563 की धारक, जिसमें उद्घापित राशि जमा करवाई गई।) 3. अन्य अज्ञात सहयोगी लाभार्थीगण, जिनकी पहचान अनुसंधान के दौरान की जानी है।...

अभियुक्तगण परिवाद अंतर्गत धारा 210 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 अपराध अंतर्गत धारा 308 (2), 308(3), 351(2), 61(2) सपठित धारा 3(5) भारतीय न्याय संहिता, 2023 पुलिस थाना शास्त्री नगर महोदय, परिवादी निम्नानुसार सविनय निवेदन करता है-1- यह कि परिवादी उपरोक्त वर्णित पते का स्थाई निवासी एवं एक शान्तिप्रिय, विधि-पालक नागरिक है। परिवादी का कार्यालय प्लॉट नं. सी-124, राणा कॉलोनी, शास्त्री नगर, जयपुर में स्थित है। परिवादी वर्तमान में भारत में टेरा इन्वेस्ट (Terra Vision Investments LLC) नामक वैश्विक निवेश संरधान का एकमात्र प्रतिनिधि है। 2 यह कि परिवादी अपने पदीय दायित्वों के अंतर्गत उक्त संस्थान के आधिकारिक ई-मेल खाते का संचालन करता है एवं उस पर उसकी पूर्ण पहुँच है, जिस ई-मेल खाते पर वे समस्त संचार/ई-मेल प्राप्त हुए हैं जो प्रस्तुत परिवाद की विषय-वस्तु हैं। अतः परिवादी को रागस्त तथ्यों की स्वयं की व्यक्तिगत जानकारी है तथा संबंधित इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख उसके कब्जे एवं नियंत्रण में सुरक्षित हैं। 3. यह कि विगत कुछ माह से इन्वेंटिवा नामक प्रकाशन तथा उससे जुड़े व्यक्तियों, जिनमें अभियुक्त संख्या 1 श्री नितिन नरेश प्रमुख हैं, द्वारा परिवादी के संस्थान एवं परिवादी के विरुद्ध लगातार प्रतिकूल लेख प्रकाशित किये जा रहे हैं तथा प्रतिकूल संचार भेजे जा रहे हैं। 4- यह कि सार्वजनिक रूप से उपलब्ध अभिलेखों के अनुसार संबंधित प्रकाशन एवं व्यक्तियों का विवरण इस प्रकार है. प्रकाशन इन्वेंटिवा, पंजीयन संख्या DELBIL/2018/76160 स्वामी गैसर्स नाइन नेटवर्क प्राइवेट लिमिटेड (सी.आई.एन. U74140DL2016PTC289760) प्रकाशक एवं संपादक- श्री नितिन नरेश, प्रकाशन स्थल- नई दिल्ली। 5. यह कि उक्त प्रकाशन में परिवादी के संस्थान एवं परिवादी के संबंध में जो आरोप एवं अभिकथन प्रकाशित किये गये

हैं, वे परिवादी की जानकारी एवं विश्वास में असत्य, असमर्थित एवं भ्रामक हैं तथा संस्थान की प्रतिष्ठा एवं व्यावसायिक हितों के लिये गंभीर रूप से हानिकारक हैं। 6-यह कि परिवादी द्वारा संचालित उक्त आधिकारिक ई-मेल खाते पर अभियुक्तगण द्वारा निरन्तर ऐसे संचार भेजे जा रहे हैं जिनमें धनराशि के भुगतान की माँग की जाती है तथा गाँग की पालना न किये जाने पर और अधिक प्रतिकूल लेख/प्रकाशन किये जाने की धमकी दी जाती है। इस प्रकार का प्रथम ई-मेल दिनांक 26.08.2026 को प्राप्त हुआ, जिससे धन की अवैध माँग एवं दबाव के उस क्रम का प्रारम्भ हुआ जो प्रस्तुत परिवाद का विषय है। 7- यह कि तत्पश्चात दिनांक 03.09.2026 को एक और धमकीभरा ई-मेल प्राप्त हुआ, जिसमें सारतः धनराशि के भुगतान की माँग की गई तथा यह दर्शाया गया कि यदि माँग की पालना नहीं की गई तो ऑनलाइन और अधिक प्रतिकूल लेख/प्रकाशन प्रसारित कर दिये जायेंगे। 8- यह कि उक्त निरन्तर दबाव, धमकी एवं उत्पीड़न से त्रस्त होकर तथा इस आशा में कि उत्पीड़न समाप्त हो जायेगा, परिवादी ने विवश होकर दिनांक 03.09.2026 को समय करीब 1335 बजे, एच.डी.एफ.सी. बैंक की शास्त्री नगर, कँवाटिया, जयपुर स्थित नकद जमा मशीन (मशीन संख्या COJPR008)- जो पुलिस थाना शास्त्री नगर, जयपुर के क्षेत्राधिकार में स्थित है- के माध्यम से लेन-देन क्रम संख्या 1636 द्वारा 11,700/- रुपये (अक्षरे ग्यारह हजार सात सौ रुपये मात्र) नकद, बताये गये बैंक खाता संख्या XXXXXXXXXX9563 में जमा करवाये। 9. यह कि उक्त जगा पर्ची में खाताधारक का नाम नाइन नेटवर्क प्राइवेट शिनिदेव अंकित है, जो प्रकाशन इन्वेस्टिवा की स्वामी है। इस प्रकार प्रतिकूल प्रकाशन एवं धन की अवैध भीग वो मध्य सीधा एवं प्रत्यक्ष संबंध स्वयं अभिलेख से प्रकट होता है। उक्त जगा पर्ची की छायाप्रति परिवाद के साथ संलग्न है। 10- यह कि परिवादी ने उक्त भुगतान इरा अपेक्षा से किया था कि बार-बार की जाने वाली माँगें एवं उत्पीड़न समाप्त हो जायेंगे, परन्तु उसी दिन अर्थात् दिनांक 03.09.2026 को भुगतान किये जाने के तुरन्त पश्चात ही परिवादी को और अधिक धनराशि की माँग करते हुए एक अन्य ई-मेल प्राप्त हुआ। इससे स्पष्ट है कि पूर्व माँग की पालना कर देने के बावजूद अभियुक्तगण द्वारा और अधिक प्रतिकूल प्रकाशन का भय दिखाकर निरन्तर दबाव बनाते हुए धन वसूली का क्रम जारी रखा जा रहा है। 11- यह कि उपरोक्त परिस्थितियों से परिवादी को अपनी व्यक्तिगत सुरक्षा एवं जान-माल के संबंध में गंभीर भय एवं आशंका उत्पन्न हो गई है, विशेष रूप से इस कारण कि परिवादी वर्तमान में भारत में टेरा इन्वेस्ट का एकमात्र प्रतिनिधि है। 12- यह कि अभियुक्तगण के उपरोक्त कृत्य, अर्थात् प्रतिकूल प्रकाशन का भय दिखाकर धन की माँग करना, धमकी देकर धन प्राप्त करना एवं तत्पश्चात पुनः माँग करना, आपस में सुनियोजित षड्यंत्र एवं मिलीभगत कर सदोष हानि कारित करने की नीयत से किये गये हैं, जो भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 308(2), 308(3), 351(2) एवं 61(2) सपठित धारा 3(5) तथा अन्य सुसंगत धाराओं के अंतर्गत दण्डनीय संज्ञेय अपराध हैं। 13- यह कि परिवाद विशेष रूप से धन की अवैध माँग तथा भुगतान/अभुगतान को निरन्तर प्रतिकूल प्रकाशन से जोड़कर दबाव बनाये जाने के आपराधिक कृत्य के संबंध में है। 14- यह कि उपरोक्त घटनाक्रम का महत्वपूर्ण अंश, अर्थात् दबाव में आकर धनराशि जमा करवाया जाना, पुलिस थाना शास्त्री नगर, जयपुर के क्षेत्राधिकार में घटित हुआ है तथा परिवादी भी जयपुर का ही निवासी है। अतः उक्त प्रकरण की सुनवाई का माननीय न्यायालय को पूर्ण क्षेत्राधिकार प्राप्त है। 15- यह कि परिवादी द्वारा उपरोक्त समस्त तथ्यों सहित एक विस्तृत परिवाद, श्रीमान् थानाधिकारी, पुलिस थाना शास्त्री नगर, जयपुर के समक्ष दिनांक 03.09.2026 को प्रस्तुत किया गया, किन्तु उपरोक्त अभियुक्तगण के विरुद्ध न तो कोई प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज की गई और न ही कोई कार्यवाही की गई। 16- यह कि पुलिस थाना शास्त्री नगर द्वारा प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज न किये जाने से व्यथित होकर, परिवादी द्वारा अभ्यावेदन श्रीमान् पुलिस उपायुक्त महोदय (उत्तर), जयपुर के समक्ष दिनांक 05.09.2026 को प्रस्तुत किया गया, किन्तु खेद का विषय है कि आज दिनांक तक न तो उपरोक्त अभियुक्तगण के विरुद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज की गई है और न ही कोई अनुसंधान कार्यवाही की गई है। 17- यह कि अभियुक्तगण के उपरोक्त कृत्य गंभीर संज्ञेय अपराध की श्रेणी में आते हैं तथा प्रतिपादित विधि अनुसार संज्ञेय अपराध की सूचना प्राप्त होने पर प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज किया जाना अनिवार्य है, फिर भी पुलिस द्वारा प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज नहीं की गई। परिवादी द्वारा धारा 173(1) एवं 173(4) भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की समस्त प्रक्रिया का पालन किया जा चुका है तथा परिवादी के पास इस माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत परिवाद पेश करने के अतिरिक्त अन्य कोई उपचार शेष नहीं है। अतः माननीय न्यायालय से सविनय प्रार्थना है कि परिवादी का प्रस्तुत परिवाद स्वीकार कर, धारा 175(3) भारतीय

नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 के अंतर्गत श्रीमान् थानाधिकारी, पुलिस थाना शास्त्री नगर, जयपुर को यह निर्देशित किया जावे कि वह उपरोक्त अभियुक्तगण के विरुद्ध उपरोक्त वर्णित अपराधों की प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कर विधि अनुसार अनुसंधान करे तथा प्रकरण से संबंधित समस्त इलेक्ट्रॉनिक एवं वित्तीय साक्ष्य (ई-मेल, हैडर, आई.पी. लॉग्स, सर्वर अभिलेख एवं उक्त बैंक खाते के दस्तावेज) के संरक्षण हेतु आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित की जावे। इस कृपा हेतु परिवादी सदैव आभारी रहेगा। जयपुर दिनांक कार्यवाही पुलिस.....प्रमाणित किया जाता है कि उक्त इस्तगासा अन्तर्गत धारा 175(3)BNSS का श्रीमान न्यायालय अपर सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट क्र.स 11 जयपुर महानगर II के द्वारा परिवादी श्री अनिरुद्ध सरन पुरोहित पुत्र श्री अनिल कुमार पारीक उम्र 36 साल निवासी म.न D 64 माधोसिंह रोड बनीपार्क डाक घर शास्त्रीनगर जयपुर हाल कार्यालय प्लॉट न. सी 124 राणा कालोनी पुलिस थाना शास्त्रीनगर जयपुर का जरिये डाक थाना हाजा पर प्राप्त हुआ है। मजमून रिपोर्ट से मामला जुर्म धारा 308(2), 308(3), 351(2), 61(2), 3(5) BNSS-2023 के वक्तु मे आना पाया जाने पर मजमून रिपोर्ट को CCTNS मे अक्षर सः अक्षर अंकित की जावेगी। मजमून जनरेट होने पर अभियोग संख्या /2026 धारा उक्त मे दर्ज कर तफतीश श्री राजेन्द्र सिंह ASI के जिम्मे की गयी। FIR नियमानुसार जारी कर एक प्रति परिवादी को निशुल्क दी जावेगी।

13 Action taken Since the above information reveals commission of offence(s) u/s as mentioned at Item No. 2.

(की गई कार्यवाही: चूँकि उपरोक्त जानकारी से पता चलता है कि अपराध करने का तरीका मद सं.2 में उल्लेख धारा के तहत है):

(1) Registered the case and took up the investigation (प्रकरण दर्ज किया गया और जाँच के लिए लिया गया):

or (या)

(2) Directed (Name of I.O.): RAJENDRA Rank सहायकउप - निरीक्षक
(जाँच अधिकारी का नाम): SINGH (पद):

No(सं.): to take up the Investigation (को जाँच अपने पास में लेने के लिए निर्देश दिया गया) or(या)

(3) Refused investigation due to
(जाँच के लिए) :

or (के कारण इंकार किया, या)

(4) Transferred to P.S.(थाना): District (जिला):

on point of jurisdiction (को क्षेत्राधिकार के कारण हस्तांतरित) .

F.I.R.read over to the complainant/informant,admitted to be correctly recorded and a copy given to the complainant/informant free of cost.

(शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता को प्राथमिकी पढ़ कर सुनाई गई, सही दर्ज हुई माना और एक प्रति निःशुल्क शिकायतकर्ता को दी गई।)

R.O.A.C.(आर.ओ.ए.सी.)

14. Signature/Thumb impression of the complainant / informant
(शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता के हस्ताक्षर / अंगूठे का निशान):

Signature of Officer in charge, Police Station
(थाना प्रभारी के हस्ताक्षर)

Signed by: Prakash Chand
Location: Rajasthan,IN
Date: 14/09/2026 20:09:30


15. Date and time of dispatch to the court
(अदालत में प्रेषण की दिनांक और समय):

Name(नाम):Prakash Chand

Rank (पद): Asst. SI (Assistant Sub-Inspector)

No(सं.):ASI

Attachment to item 7 of First Information Report (प्रथम सूचना रिपोर्ट के मद 7 संलग्नक):

Physical features, deformities and other details of the suspect/accused:(If known/seen)

(संदिग्ध / अभियुक्त की शारीरिक विशेषताएँ, विकृतियाँ और अन्य विवरण :(यदि ज्ञात / देखा गया))

S.No.(क्र.सं.)	Sex (लिंग)	Date/Year of Birth (जन्म तिथि / वर्ष)	Build (बनावट)	Height(cms.) (कद(से.मी))	Complexion (रंग)	Identification Mark(s) (पहचान चिन्ह)
1	2	3	4	5	6	7
1	पुरुष	2001				

Deformities/ Peculiarities (विकृतियाँ/ विशिष्टताएँ)	Teeth (दाँत)	Hair (बाल)	Eyes (आँखें)	Habit(s) (आदतें)	Dress Habit(s) (पहनावा)
8	9	10	11	12	13

Language /Dialect (भाषा /बोली)	Place Of(का स्थान)					Others (अन्य)
	Burn Mark (जले हुए का निशान)	Leucoderma (धवल रोग)	Mole (मस्सा)	Scar (घाव)	Tattoo (गूदे हुए का)	
14	15	16	17	18	19	20

These fields will be entered only if complainant/informant gives any one or more particulars about the suspect/accused.

(यह क्षेत्र तभी दर्ज किए जाएंगे यदि शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता संदिग्ध / अभियुक्त के बारे में कोई एक या उससे अधिक जानकारी देता है |)